



झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सरायकेला-खरसावाँ

Samagra Shiksha Abhiyan
17, 2nd Floor, Collectorate Building, Gourangdih, PO-Seraikella, Jharkhand-833219
E-Mail : ssaseraikella@gmail.com



पत्रांक

दिनांक

कार्यालय-आदेश

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के ज्ञापांक- 1537 दिनांक 06.09.2021 के द्वारा जिले के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त क्रम में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर जिला चयन समिति, सरायकेला-खरसावाँ (कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय) के द्वारा निर्धारित मेघांक के अधार पर औपबंधित मेघांक सूची तैयार की गई है, जिसे अवलोकनार्थ NIC के Portal पर प्रकाशित किया जा रहा है। संबंधित अभ्यर्थियों सरायकेला-खरसावाँ के वेवसाईट www.serikela.nic.in पर अपने-अपने मेघांक का अवलोकन करते हुए अपना दावा आपत्ति आवेदन साक्ष्य सहित दिनांक 28.10.2021 को अपराह्न 2:00 बजे तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त किसी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

ह0/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
सरायकेला-खरसावाँ।


ज्ञापांक : SSA/2021/764 सरायकेला, दिनांक : 25.10.2021

प्रतिलिपि : सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सरायकेला को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि : अपर आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ सादर समर्पित।


जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना
सरायकेला-खरसावाँ।

कार्यालय : समग्र शिक्षा अभियान, सरायकेला-खरसावों ।

:: सूचना ::

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के ज्ञापांक 1679 दिनांक 22.09.2021 के आदेशानुसार पूर्णकालिक रसोईया एवं पूर्णकालिक चौकीदार के पर चयन की कार्रवाई जिला स्तर पर नहीं की जाएगी तथा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) की जाने वाली बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा तथा इन पदों के लिए आवेदन जिला स्तरीय समग्र शिक्षा कार्यालय में चयन हेतु स्वीकार नहीं किए जायेंगे। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में इस हद तक संशोधित किया गया है। अतएव प्रकाशित औपबंधिक मेघांक सूची में पूर्णकालिक रसोईया एवं पूर्णकालिक चौकीदार की सूची प्रकाशित नहीं किया गया है।

आदेशानुसार

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

समग्र शिक्षा अभियान, सरायकेला-खरसावों ।